न्यायालय श्रीमान् माननीय सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर

कैम्प रीवा म0प्र0,

निगरानी 1685-II-15

इन्द्रपाल सिंह तनय शिवनारायण सिंह निवासी ग्राम बसरेही तह0 जवा जिला रीवा म0प्र0,

.....आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

1— इन्द्रजीत सिंह तनय बाउल सिंह,

2— इन्द्रशरण सिंह तनय बाउल सिंह

दोनो निवासी ग्राम बसरेही तह0 जवा जिला रीवा म0प्र0,

.....अनावेदकगण / गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध नक्सा तर्मीम आराजी खसरा कं0—13/1, 13/2 स्थित ग्राम बसरेही तह0 जवा जिला रीवा म0प्र0,

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0राजस्व सहिंता 1959,

मान्यवर,

प्रकरण का सूक्ष्म विवरण निम्नलिखित है—

यह कि आराजी खसरा कं0—13 रकवा 3.262 हे0 स्थित ग्राम बसरेही तह0 जवा जिला रीवा है, जिसके जो आवेदक एवं अनावेदकगण के पैतृक भूमि है, उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा आवेदक का व 1/2 हिस्सा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 1635-II/15 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14 –1–2016	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह उपस्थित । उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया । 2 आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचारोपरान्त संलग्न नक्शा एवं खसरा की प्रतियों का अवलोकन किया गया । अवलोकन से पाया कि खसरा कमांक 13/1 एवं 13/2 ग्राम बसरेही, तहसील जवा की भूमि है जिसका मूल सर्वे कमांक 13 रकबा 3.262 हैक्टेयर जिसके आवेदक एवं अनावेदक भूमिस्वामी होकर उनकी पैतृक भूमि है । इस भूमि के नक्शे पर बटा नम्बरों की तरमीम पटवारी द्वारा किया जाना प्रतीत हो रहा है जबकि संहिता (म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता) की धारा 71 के अनुसार नक्शा तरमीम का अधिकार तहसीलदार को है । इस प्रकार की कार्यवाही आपत्तिजनक होकर न्यायवाद को बढ़ाने वाली है जिन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है । 3/ अतः उक्त संबंध में कलेक्टर रीवा को यह आदेश दिया जाता है कि वे यह देखें कि प्रकरण के संलग्न नक्शा आ0न0 13/1 एवं 13/2 पटवारी हल्का नंबर 32 ग्राम बसरेही तहसील जवा जिला रीवा के नक्शे में अंकित तरमीम किस आदेश दिनांक से किस अधिकारी द्वारा की गई है । यदि यह तरमीम बगैर सक्षम आदेश/प्राधिकार के की गई है, तो नाम से संबंधित अधिकारी/कमचारी की जिम्मेदारी तय कर, योग्य अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए, राजस्व मण्डल को 4 माह के भीतर अवगत कराएं । साथ ही यदि हितबद्ध पक्षकारों के आवेदन पर	

विधिवत तरमीम संबंधी कार्यवाही ना की गई हो, तो ऐसी कार्यवाही भी आवेदन के आधार पर विधिवत सुनिश्चित कराएं। इसी के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है ।

पक्षकार एवं कलेक्टर, रीवा सूचित हों ।

दा0द0 हो ।

14.1.16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य